न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 84/2017/225 आर टी ए

1. जसविन्द्रसिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति रामदासिया निवासी वार्ड नं. 16 डबली बास मोलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ताराचन्द पुत्र लेखुराम जाति जाट निवासी चक 2 पीबीएन डबलीबास चुगता तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. लिछमा देवी पत्नि चानणराम जाति जाट निवासी डबलीबास चुगता तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंण्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 11.11.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या 338/2016 जिसके द्वारा चक 3 पीबीएन की अपीलांटस की भूमि मे से रास्ते का अंकन किया गया

उपस्थित :–

श्री गुरदेव सिंह अधिवक्ता अपीलांटस

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.

निर्णय दिनांकः–23.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार हनुमानगढ़ की ओर से एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2016 को पेशकर चक 3 पीबीएन पटवार हल्का 17 एसटीजी के प.न. 58/292 से 69/292 के कि.न. 1 ता 5 प्रत्येक मे 0.012 है0 रास्ता स्वीकृत करने का आदेश इस आधार पर चाहा कि यह रास्ता मौका पर चालू है किन्तु इसका अंकन राजस्व रिकार्ड मे नही है इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव ग्रुप–6 राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज.6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 की पालना मे जारी परिपत्र मे उल्लेखित क्रम सं. 1 को आधार बनाकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के आदेश प्रदान किये गये है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेंट को तलब किया गया। रिकार्ड तहत का आया। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया गया।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका की स्थिति के संबंध मे कोई जांच नही की गई क्योंकि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित स्थान चक 3 पीबीएन के प.न. 58/292 से 69/292 के कि.न. 1 ता 5 मे कोई रास्ता कभी भी मौका पर नही चला है बल्कि यह रास्ता चक सीमा 2 पीबीएन व 3 पीबीएन पर चक 2 पीबीएन के प.न. 58/291 से 69/291 के कि.न. 21 ता 25 मे विगत 30–40 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की भूमि मे कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव ग्रुप–6 राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज. 6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र को अपने निर्णय का आधार बनाया गया है जबकि इस परिपत्र के अनुसार भी रास्ता स्वीकृति से पूर्व पक्षकारो को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 58, 59, 60 के अनुसार पक्षकार को रिपोर्ट की प्रति प्रदान कर सुनवाई करने का अंकन है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस एवं अन्य प्रभावित काश्तकारो को इस संबंध मे कोई नोटिस व सूचना नही दी गई एवं सीधे ही बिना कोई जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांटस की कृषि भूमि मे पूर्व मे ही गैर मुमकिन खाला चल रहा है जिसका अंकन भी राजस्व रिकार्ड मे है विधि अनुसार भी किला मे रास्ता व खाला स्वीकृत नही किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर भी कोई विचार नही किया गया है। इस आदेश अपीलांट के विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है। अपीलांट उक्त आदेश को चुतौनी देना चाहता है तथा इस हेतु बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील प्रस्तुत कर रहा है जिस हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली एवं मौका कमीश्नर रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे उल्लेख किया कि प्रकरण मे रास्ते पर अतिक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के प्रपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 तथा श्रीमान जिला

कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ द्वारा दिये गये ओदश क्रमांक एफ12(12)राज.16/3975/88 दिनांक 30.08.2016 की पालना मे तहसीलदार हनुमानगढ़ का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदन मे वर्णित अनुसार चक 3 पीबीएन पटवार हल्का 17 एसटीजी के प.न. 58/292 से 69/292 के कि.न. 1 ता 5 प्रत्येक मे 0.012 है0 रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड मे करने का आदेश पारित किया गया, जबकि हस्तगत प्रकरण मे मौका रिपोर्ट हेतु गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार चक 3 पीबीएन मे प.न. 69/292 के कि.न. 1 ता 5 व 68/292 कि.न. 3 ता 5 मे रास्ता चक 3 पीबीएन मे है तथा 68/292 कि.न. 1, 2, चक 3 पीबीएन व 68/291 कि.न. 21 व 22 चक 2 पीबीएन मे आधा आधा है, प.न. 58/291 से 67/291 तक कि.न. 21 ता 25 चक 2 पीबीएन मे रास्ता मौके पर चल रहा है। वस्तुस्थिति का निरीक्षण करने पर अपीलाधीन आदेश मे वर्णितानुसार कोई रास्ता होना पाया गया है और ना ही मौका पर रास्ता चालू है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ़ स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर मुताबिक तहसीलदार हनुमानगढ़ दिनांक 17.05.2017 के अनुसार रास्ता का अंकन किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ़ दिनांक 17.05.2017 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2016 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 3 पीबीएन के प.न. 69/292 कि.न. 1 ता 5 प्रत्येक मे 0.012 है0, प.न. 68/292 कि.न. 3 ता 5 प्रत्येक मे 0.012 है0, प.न. 68/291 कि.न. 21 व 22 प्रत्येक मे 0.006 है0, प.न. 68/292 कि.न. 1 व 2 प्रत्येक मे 0.006 है0, प.न. 58/291 से 67/291 प्रत्येक कि.न. 21 ता 25 प्रत्येक किला मे 0.012 है0 गैरमुमकिन रास्ता का राजस्व अभिलेख मे अंकन किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official